

15/3/72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 1972/पौष 24, 1893

No 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 1972/PAUSA 24, 1893

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूपमें रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th January 1972

S.O. 31(E).—Whereas the industrial undertaking known as the Hindustan Motors Limited, Uttarpara, District Hooghly, West Bengal, is engaged in the scheduled industry, namely, the automobile industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of commercial vehicles (trucks & buses) in the said industrial undertaking had been gradually going down and that no such Commercial vehicles were produced during November, 1971, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the gradual fall in the production of commercial vehicles in the said industrial undertaking and to ensure that production of commercial vehicles in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government

hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman

1. Brig. B. Minas, Director of Inspection (Vehicles), Department of Defence Production, Ministry of Defence.

Members

2. Shri Mahesh Sarin, Director, State Trading Corporation of India, Chandralok, 36 Janpath, New Delhi.
3. Shri P. R. Latey, Chief (Engg.), Industry & Minerals Divn., Planning Commission, New Delhi.
4. Shri B. S. V. Rao, Development Officer (Auto), Dte. Genl. of Tech. Dev., New Delhi.

2. The said body shall submit its report within two months from the date of this Order.

[No. 1(129)/71-AEI(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1972

का० प्र० 31(अ).—यतः हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपारा, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाने वाला औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् मोटरगाड़ी उद्योग में खगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में वाणिज्यिक यानों (ट्रकों और बसों) की उत्पादन-मात्रा में क्रमिक गिरावट होती रही है और यह कि नवम्बर, 1971 के दौरान किन्हीं ऐसे वाणिज्यिक यानों का उत्पादन नहीं हुआ है, जिसके लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई प्रीक्षित नहीं है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में वाणिज्यिक यानों के उत्पादन में क्रमिक गिरावट से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए और उक्त अनुसूचित उद्योग में वाणिज्यिक यानों का उत्पादन लोक हित के अपाय के लिए न बिगड़ने देने को सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल उपाय करना समीचीन है;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित एक निकाय, मामले की परिस्थितियों के पूर्ण अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, नियुक्त करती है :

- | | |
|--|---------|
| (1) ब्रिगेडियर बी० मीनास, निरीक्षण-निदेशक (यान),
रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (2) श्री महेश सरिन, निदेशक,
भारत का राज्य व्यापार निगम, चन्द्र लोक,
36-जनपथ, नई दिल्ली | सदस्य |

- (3) श्री पी० आर० लैटे, सदस्य
मुख्य इंजीनियर, उद्योग और खनिज प्रभाग,
योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- (4) श्री बी० एस० बी० राव, सदस्य
विकास अधिकारी (ग्रोटो),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

2. उक्त निकाय इस आदेश की तारीख से 2 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 1(129)/71-ईआई(i).]

एस० एम० शोष, संयुक्त सचिव ।

